

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1979/माघ 14, 1900

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1979/MAGHA 14, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मन्त्रालय

(कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1979

सा. का. नि. 62(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के उप खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 के विनियम 9 में, उप-विनियम (3) और उसके नीचे दिए गए स्पष्टीकरणों के साथ, निम्नलिखित उप-विनियम अंतः स्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

“(4) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य केंद्रीय सरकारी अधिकारी पर लागू होने वाली वरों पर पेंशन में कमबद्ध (ग्रेडेड) राहत का पात्र होगा।

(5) इस विनियम के अंतर्गत मंजूर की गयी पेंशनों के संबंध में संराशीकरण उच्चतम ग्रेड के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगा।”

[सं. 39024/1/77-स्थापना (ख)]

सी. बालकृष्णन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1979

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Members) Second Amendment Regulations, 1979;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 9 of the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, after sub-regulation (3) and the Explanations thereunder, the following sub-regulations shall be inserted, namely :—

“(4) Every member referred to in sub-regulation (1) shall be eligible for graded relief in pension at the rates applicable to a Central Government officer.

(5) Commutation will be permissible in respect of pensions granted under this regulation in accordance with the rules applicable to Central Government officers of the highest grade.”

[No. 39024/1/77-Esst. (B)]

C. BALAKRISHNAN, Desk Officer